प्रेस नोट दिनांक 14.09.2025

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

थाना अलीनगर पुलिस व स्वाट/सर्विलांस पुलिस टीम द्वारा पंजाब राज्य से बिहार राज्य हेतु परिवहन की जा रही कुल मात्रा 6685.2 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब को बरामद करते हुये 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 01 करोंड़ 40 लाख-/ रूपये(बिहार राज्य के अनुसार)।

पुलिस को गुमराह करने के लिए अवैध अंग्रेजी शराब को ट्रक में 107 बोरी बुरादे की नीचे रखा गया था।

चन्दौली- पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी महोदय, वैभव कृष्ण पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी महोदय के निर्देशन में आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा शराब/मादक तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) अपर पुलिस अधीक्षक सदर व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में उ0नि0 आशीष मिश्रा प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम मय हमराह व प्रभारी निरीक्षक अलीनगर अनिल कुमार पाण्डेय थाना अलीनगर पुलिस टीम के संयुक्त कार्यवाही में दिनांक 13.09.2025 को बिहार मद्य निषेध इकाई पटना से सूचना प्राप्त हुयी कि वाराणसी की तरफ से एक ट्रक जिसमें नीली व पीली तिरपाल से ढक कर बोरियों की आड़ में अंग्रेजी शराब लेकर आ रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर सिन्घीताली पुल पर पहुचकर वाराणसी से चन्दौली जाने वाले मार्ग पर आने वाले वाहनों की चेकिंग करने लगे। कुछ देर बाद एक ट्रक जो नीले व पीले तिरपाल से ढ़की हुई थी, वाराणसी की तरफ से आती हुई दिखाई दी। जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया किन्तु पुलिस टीम को देखकर ट्रक चालक ट्रक की स्पीड बढ़ा कर भागने का प्रयास किया । वहां मौजूद पुलिस टीम द्वारा ट्रेलर व डन्फर की मदद से घेराबन्दी कर पकड़ लिया गया पकड़े गये। पकड़े गये अभियुक्तों की पहचान 1. गुरदीप सिंह पुत्र जसवीर सिंह निवासी डांव टुंडली थाना पंजोखरा साहिब जिला अम्बाला हरियाणा उम्र करीब 38 वर्ष व 2. गुरपाल सिंह पुत्र महिन्दर सिंह निवासी रानी माजरा थाना साहिबजादा अजीत नगर पंजाब उम्र करीब 42 वर्ष के रुप में हुई। ट्रक वाहन संख्या PB 11 BY 7925 को चेक किया गया तो ट्रक के डाले में कुल 107 बोरी बुरादे के नीचे अवैध अंग्रेजी शराब को छिपा रखा गया था।

बरामद अवैध अंग्रेजी शराब का विवरण इस प्रकार है-

1.रायल चैलेन्ज प्रत्येक बोतल मात्रा 750ML का 37 पेटी

2.रायल चैलेन्ज प्रत्येक बोतल मात्रा 375ML का 146 पेटी

3.मैकडावेल प्रत्येक बोतल मात्रा 750 ML का 123 पेटी

4.मैकडावेल प्रत्येक बोतल मात्रा 375ML का 264 पेटी

5.मैकडावेल प्रत्येक बोतल मात्रा 180ML का 180 पेटी

जिसकी कुल मात्रा 6685.2 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 432/25 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व धारा 109 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।-

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि पंजाब व हरियाणा राज्य से सस्ते दामों पर शराब को खरीदकर बिहार ले जाकर ऊँचे दामों मे बेचते है क्योकि बिहार मे शराब मे बंदी के कारण शराब की अच्छी कीमत मिल जाती है। उसके बाद लाभ के पैसो को हम दोनों बराबर बराबर में बांट लेते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–

1. गुरदीप सिंह पुत्र जसवीर सिंह निवासी डांव टुंडली थाना पंजोखरा साहिब जिला अम्बाला हरियाणा उम्र करीब 38 वर्ष
2. गुरपाल सिंह पुत्र महिन्दर सिंह निवासी रानी माजरा थाना साहिबजादा अजीत नगर पंजाब उम्र करीब 42 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण–

मु.अ.सं. 432/25 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व धारा 109 बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
(गिरफ्तार अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।)

विवरण बरामदगी-

1) 02 मोबाइल फोन

2) एक ट्रक वाहन संख्या से PB 11 BY 7925 अवैध अंग्रेजी शराब,

3) रायल चैलेन्ज प्रत्येक बोतल मात्रा 750ML का 37 पेटी,

4) रायल चैलेन्ज प्रत्येक बोतल मात्रा 375ML का 146 पेटी

5) मैकडावेल प्रत्येक बोतल मात्रा 750 ML का 123 पेटी

6) मैकडावेल प्रत्येक बोतल मात्रा 375ML का 264 पेटी

7) मैकडावेल प्रत्येक बोतल मात्रा 180ML का 180 पेटी कुल मात्रा 6685.2 लीटर अवैध अंग्रेजी/देशी शराब बरामद

बरामद शराब की अनुमानित कीमत) करीब 01 करोंड़ 40 लाख रूपये (बिहार प्रान्त के अनुसार)

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1.निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
2.उ0नि0 अनन्त कुमार भार्गव चौकी प्रभारी लौंदा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
3.उ0नि0 अनिल यादव चौकी प्रभारी आलूमील थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
4.हे0का0 सुनील कुमार यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
5.का0 राहुल खरवार थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
6.का0 आकाश सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

स्वाट टीम-

उ0नि0 आशीष मिश्रा SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली

हे0का0 अरविंद भारद्वाज SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली

हे0का0 आनंद सिंह SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली

हे0का0 राणा प्रताप सिंह SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली

हे0का0 रामानंद यादव SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली

हे0का0 बिजेंद्र कुमार सिंह SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली

हे0का0 आशुतोष सिंह SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली

हे0का0 प्रेम प्रकाश यादव SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली

हे0का0 मंटू सिंह SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली

का0 अजीत कुमार सिंह SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली

का0 गणेश तिवारी SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली

का0 मनीष कुमार SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली

का0 संदीप कुमार SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली

थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा 15 पैकेट (कुल 32.970 किलोग्राम) अवैध गाँजा के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

बरामद अवैध गाँजा की अनुमानित कीमत लगभग 08 लाख रूपये है।

चन्दौली- आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रतिबंध लगाने जाने हेतु लगातार चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर(आई.पी.एस.),अपर पुलिस अधीक्षक सदर व कृष्ण मुरारी शर्मा, क्षेत्राधिकारी PDDU नगर के पर्यवेक्षण में दिनांक 13.09.2025 को प्रभारी निरीक्षक गगज राज सिंह की टीम के उ0नि0 अजय कुमार मय हमराह चकिया तिराहे पर चेंकिग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक ऑटो में दो व्यक्ति अवैध गांजा लेकर उड़ीसा से आ रहे है तथा अवैध गांजा लेकर वाराणसी जाने के फिराक में है। कुछ देर बाद जी0टी0 रोड़ हाईवे की तरफ से एक ऑटो दिखाई दिया। जिसे रोकने का इशारा किया गया तो चेकिंग प्वांइट से कुछ दूरी पहले भागने का प्रयास किया। चेकिंग कर रही पुलिस टीम द्वारा ऑटो की घेराबंदी कर ऑटो में सवार 02 व्यक्तियों पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्तियो द्वारा आटो की छत में केविन बनाकर कुल 15 बण्डल प्लास्टिक की पैकेट (जिसका वजन 32.970 किलोग्राम) गाँजा बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्तियो की पहचान 1. धीरज साव पुत्र राम प्रताप साव निवासी बेलघाट थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर वर्तमान पता गाँधी रोड राउरकेला थाना प्लाट साईड जनपद सुन्दरगढ (उडिसा) उम्र 32 वर्ष तथा 2. राहुल कुमार पुत्र प्रभु साह निवासी ग्राम डेरवा थाना गोपालगंज जनपद गोपालगंज (बिहार) उम्र 22 वर्ष के रुप में हुयी।

बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना मुगलसराय पर मु0अ0सं0 – 457/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्तगण -

1. धीरज साव पुत्र राम प्रताप साव निवासी बेलघाट थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर वर्तमान पता गाँधी रोड राउरकेला थाना प्लाट साईड जनपद सुन्दरगढ (उडिसा) उम्र 32 वर्ष
2. राहुल कुमार पुत्र प्रभु साह निवासी ग्राम डेरवा थाना गोपालगंज जनपद गोपालगंज (बिहार) उम्र 22 वर्ष

पूछताछ विवरण-पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग उड़ीसा से उक्त गांजा को सस्ते दामों में खरीदकर वाराणसी ले जा ग्राहकों को बेच देते है।उसके बाद लाभ के पैसों को हम दोनो आपस में बराबर-बराबर बांट लेते है।

आपराधिक विवरण –

1.मु0अ0सं0 – 457/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

विवरण बरामदगी-

32.970 Kg अवैध गाँजा ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.प्र0नि0 गगन राज सिंह कोतवाली मुगलसराय चन्दौली ।

2.उ0नि0 अजय कुमार चौकी प्रभारी रेलवे कालोनी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

3.उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी चौकी प्रभारी कस्बा थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

4.उ0नि0 संजय कुमार राय थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

5.का0 विशाल वर्मा थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

6.हे0का0भूपेश कुमार थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।